



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराध को ही अपनी आय का स्रोत मान कर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 16.02.2021 को थाना हरगांव पुलिस व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त तेजनारायण पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लक्ष्मन नगर जहाँगीराबाद थाना हरगांव जनपद सीतापुर को अवैध शराब का निर्माण करते हुए उसके घर से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से शराब बनाने के समान, **20 लीटर रिस्पट व शराब बनाकर भरकर बेंचने के लिए 735 खाली शीशियां विन्डीज व फाईटर ब्रान्ड की ,प्लास्टिक की 624 ढक्कन, 20 गत्ते, 2 अदद प्लास्टिक टेप व एक अदद चाकू** बरामद हुआ है। उक्त संबंध में थाना हरगांव पर मु0अ0सं0 116/21 धारा 60 EX. ACT व 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र ही सुनिश्चित की जायेगी। अभियुक्त द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 116/21 धारा 60 EX. ACT व 420/467/468/471 भादवि थाना रेउसा सीतापुर

अभियुक्तों का नाम व पता-

- तेजनारायण पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लक्ष्मन नगर जहाँगीराबाद थाना हरगांव जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण-

- शराब बनाने के समान, 20 लीटर स्प्रिट व शराब बनाकर भरकर बेंचने के लिए 735 खाली शीशिया विन्डीज व फाईटर ब्रान्ड की ,प्लास्टिक की 624 ढक्कन, 20 गत्ते, 2 अदद प्लास्टिक टेप व एक अदद चाकू

गिरफ्तारी करने वाली थाना हरगांव पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उमाकान्त सबिता
2. का0 नितेश कुमार
3. का0 सचिन सिंह

गिरफ्तारी करने वाली आबकारी टीम-

1. सुश्री आबकारी निरीक्षक आरती यादव
2. श्री पुष्पेन्द्र कुमार आ.नि. क्षेत्र मिश्रिख सीतापुर
3. आ.नि. अरुण कुमार क्षेत्र 2 विसवा सीतापुर
4. श्री दीपक शर्मा प्र.आ.सि.
5. श्री संदीप सिंह प्र.आ.सि.
6. विवेक केशव प्रसाद नरायाण
7. प्र.अ.सि. वसनीम अहमद

